

10. पड़ेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पड़े की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे के राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

मुख्य मंत्री शहरी जन कल्याण विभाग

योजना 2017 पूर्व

प्रखण्ड संख्या: ३४ प्रस्तावित भूखण्डों के विवरण

दस्तावेज है। जिसे भूखण्ड स्तर पर
भूखण्ड योजना नक़्शे में दर्शाया जायेगा।

जन आवास योजना

मेकिंगन 38 के अन्तर्गत

और यह संलग्न नक्शे में दर्शाया गया तथा इसकी सीमाएं लाल स्याही से अंकित की गई हैं।
राजस्थान के राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिए और उसकी ओर से तथा उनके आदेश और निर्देश से



की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

Handwritten diagram of a rectangular plot. The width is labeled 165' and the length is labeled 452' $\frac{1}{2}$. The area calculation is shown as follows:

$$7\frac{1}{2}' \times 165' = 1237.5'$$

$$74683.13$$

$$\text{वर्ग मीटर}$$

$$= 8298.13$$

$$\text{वर्ग गज}$$

Below the diagram, it is noted: लाइब्ररी - 60'

अध्यक्ष
नगरपालिका समितिय

